



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 9, 2019/आश्विन 17, 1941

No. 599]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2019/ASVINA 17, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2019

सं. 44/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 767(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप नियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करता है कि अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी इलैक्ट्रॉनिक रूप से, सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऐसे उत्तरवर्ती मास की बीस तारीख को या उसके पहले दी जाएगी।

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के उन्मोचन के लिए कर का संदाय – उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के मद्दे अपने दायित्व का निर्वहन पहले पैरा में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अंतिम तारीख के, जिसको उससे उक्त विवरणी देने की अपेक्षा है, अपश्चात्, यथास्थिति, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता या इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में विकलन करके करेगा।

[फा. सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

No. 44/2019–Central Tax

G.S.R. 767(E).—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from October, 2019 to March, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.\

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.**—Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

[F. No. 20/06/07/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2019

सं. 45/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 768(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करती हैं।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-1** में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	त्रैमास जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं।	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि।
(1)	(2)	(3)
1	अक्टूबर, 2019 से दिसंबर, 2019	31 जनवरी, 2020
2	जनवरी, 2020 से मार्च 2020	30 अप्रैल, 2020

3. अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

[फा. सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

No. 45/2019-Central Tax

G.S.R. 768(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	October, 2019 to December, 2019	31 st January, 2020
2	January, 2020 to March, 2020	30 th April, 2020

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of October, 2019 to March, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 20/06/07/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2019

सं. 46/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 769(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का संकलित व्यापारावर्त रखते हैं, अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

[फा. सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

No. 46/2019—Central Tax

G.S.R. 769(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from October, 2019 to March, 2020 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of October, 2019 to March, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 20/06/07/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2019

सं. 47/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 770(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 के उप नियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन देय तारीख के पहले वार्षिक विवरणी नहीं दी है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के संबंध में ऐसी विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे कि उक्त व्यक्तियों को उक्त नियमों के नियम 80 के उपनियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी देने का विकल्प होगा :

परंतु उक्त विवरण को, यदि देय तारीख के पहले नहीं दी गई है, देय तारीख पर दी गई समझा जाएगा ।

[फा. सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

No. 47/2019—Central Tax

G.S.R. 770(E).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies those registered persons whose aggregate turnover in a financial year does not exceed two crore rupees and who have not furnished the annual return under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) before the due date, as the class of registered persons who shall, in respect of financial years 2017-18 and 2018-19, follow the special procedure such that the said persons shall have the option to furnish the annual return under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the said rules:

Provided that the said return shall be deemed to be furnished on the due date if it has not been furnished before the due date.

[F. No. 20/06/07/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2019

सं. 48/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 771(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 41/2019 केन्द्रीय कर, तारीख 31 अगस्त, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.संख्यांक 618(अ), तारीख 31 अगस्त, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में -

- (क) खंड (ii) में "20 सितम्बर" अंकों और शब्द के स्थान पर "11 अक्तूबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(v) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जिनकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररूप जीएसटीआर-1** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास अगस्त, 2019 के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदाय के ब्यौरे सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से, 11 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(vi) उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, से उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररूप जीएसटीआर-7** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए उक्त नियमों के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-7** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 10 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(vii) उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, से उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररूप जीएसटीआर-7** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास अगस्त, 2019 के लिए उक्त नियमों के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-7** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 10 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(viii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 20 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ix) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जो देय तारीख तक उक्त **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास अगस्त, 2019 के लिए उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 20 अक्तूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं।

[फा. सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना सं. 41/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 31 अगस्त, 2019, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, में संख्यांक सा.का.नि.618 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

No. 48/2019–Central Tax

G.S.R. 771(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 41/2019-Central Tax, dated the 31st August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 618(E), dated the 31st August, 2019, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph—

- (a) in clause (ii), for the figures, letters and word “20th September”, the figures, letters and word “11th October” shall be inserted;
- (b) after the clause (iv), the following clauses shall be inserted, namely: —

“(v) the registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, who have furnished, electronically through the common portal, details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter referred to as the said rules), for the month of August, 2019, on or before the 11th October, 2019, for failure to furnish the said **FORM GSTR-1** by the due date;

(vi) the registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, who have furnished electronically through the common portal, return in **FORM GSTR-7** of the said rules under sub-section (3) of section 39 of the said Act read with rule 66 of the said rules, for the month of July, 2019, on or before the 10th October, 2019, for failure to furnish the said **FORM GSTR-7** by the due date;

(vii) the registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, who have furnished electronically through the common portal, return in **FORM GSTR-7** of the said rules under sub-section (3) of section 39 of the said Act read with rule 66 of the said rules, for the month of August, 2019, on or before the 10th October, 2019, for failure to furnish the said **FORM GSTR-7** by the due date;

(viii) the registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, who have furnished, electronically through the common portal, return in **FORM GSTR-3B** of the said rules, for the month of July, 2019, on or before the 20th October, 2019, for failure to furnish the said **FORM GSTR-3B** by the due date;

(ix) the registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, who have furnished, electronically through the common portal, return in **FORM GSTR-3B** of the said rules, for the month of August, 2019, on or before the 20th October, 2019, for failure to furnish the said **FORM GSTR-3B** by the due date.”.

[F. No. 20/06/07/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 41/2019–Central Tax, dated the 31st August, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 618(E), dated the 31st August, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2019

सं. 49/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 772(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (छठवाँ संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 21क में,-

(क) उपनियम (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

“**स्पष्टीकरण.**- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, “कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा” से यह अभिप्रेत होगा कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा और तदनुसार, निलंबन की अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर कर प्रभार नहीं करेगा।”;

(ख) उपनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

“(5) जहां रजिस्ट्रीकरण के निलंबन के प्रतिसंहरण को प्रभावी करने वाला कोई आदेश पारित हुआ है, वहाँ निलंबन की अवधि के दौरान और उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के दौरान किए गए प्रदायों के संबंध में धारा 31 की उपधारा (3) का खंड (क) और धारा 40 के उपबंध लागू होंगे।”।

3. उक्त नियम के नियम 36 में, उपनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

“(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उन डेबिट नोट या बीजकों की बाबत उपभोग किए जाने वाला इनपुट कर प्रत्यय जिनके ब्यौरे प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अपलोड नहीं किए गए हैं, उन डेबिट नोट या बीजकों की बाबत उपलब्ध पात्र प्रत्यय के 20% से अधिक नहीं होगा जिनके ब्यौरे प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अपलोड किए गए हैं।”।

4. उक्त नियम के नियम 61 में, -

(क) उपनियम (5) के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात: -

“(5) जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-1** या धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर -2** में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा दी गई है, वहाँ धारा 39 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी ऐसी रीति से और उन शर्तों के अधीन रहते हुये जो आयुक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह कि, जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, वहाँ ऐसा व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर -3 में** विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।”;

(ख) उपनियम (6) का, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियम के नियम 83क में, उपनियम (6) में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात: -

“(i) नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित है, उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परीक्षा पास करने के लिए अपेक्षित है।”।

6. उक्त नियम के नियम 91 में, -

(क) उपनियम (3) में, 24 सितम्बर, 2019 से प्रभावी, “संदाय आदेश जारी करेगा और” शब्दों के पश्चात “ एक समेकित संदाय सूचना के आधार पर” शब्दों को अन्तः स्थापित किया जाएगा;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात्, 24 सितम्बर, 2019 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
 “(4) केंद्रीय सरकार उपनियम (3) के अधीन जारी समेकित संदाय सूचना पर आधारित प्रतिदाय संवितरित करेगी।”।

7. उक्त नियम के नियम 97 में, -

(क) उपनियम (7) के पश्चात्, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
 “(7क) समिति माल और सेवा कर पर प्रचार या उपभोक्ता जागरूकता के लिये, प्रत्येक वर्ष की निधि में प्रत्यय की गई रकम का 50% बोर्ड को उपलब्ध कराएगी, बशर्ते उपभोक्ता मामला विभाग की उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों के लिए निधियों की उपलब्धता प्रति वर्ष पच्चीस करोड़ रुपये से कम नहीं है।”।

(ख) उपनियम (8) में, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, खंड (ड) का लोप किया जाएगा।

8. उक्त नियम के नियम 117 में, -

(क) उपनियम (1क) में, “31 मार्च, 2019” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “31 दिसम्बर, 2019” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएँगे।

(ख) उपनियम (4) में, खंड (ख) के उपखंड (iii) के परंतुक में “30 अप्रैल, 2019” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “31 जनवरी, 2020” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएँगे।

9. उक्त नियम के नियम 142 में,

(क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(1क) उचित अधिकारी कर, ब्याज और शास्ति से प्रभार्य किसी व्यक्ति को यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामीली से पूर्व उक्त अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित किसी कर, ब्याज और शास्ति के ब्यौरे प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग क में संसूचित करेगा।”।

(ख) उपनियम (2) में, “अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य शोधय रकम” शब्दों के पश्चात् “, चाहे उसके स्वयं के अभिनिश्चय पर या, उपनियम (1क) के अधीन उचित अधिकारी द्वारा यथा संसूचित,” शब्द, अंक और कोष्ठक अन्तः स्थापित किए जाएँगे;

(ग) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(2क) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने उसे संसूचित रकम का भागिक संदाय किया है या वह प्रस्तावित दायित्व के विरुद्ध कोई निवेदन फ़ाइल करने का इच्छुक है, वहाँ वह ऐसा निवेदन प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग ख में कर सकेगा।”।

10. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी –डीआरसी- 01 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप जीएसटी –डीआरसी- 01क	
धारा 73(5)/74(5) के अधीन यथा संदेय अभिनिश्चित कर की सूचना	
[नियम 142 (1क) देखें]	
भाग क	
सं.:	तारीख:
मामला आईडी सं.	
सेवा में,	
जीएसटीआईएन.....	
नाम.....	
पता.....	
विषय: मामला कार्यवाही संदर्भ सं.....- धारा 73(5)/धारा 74(5)के अधीन दायित्व की सूचना – से संबंधित	

कृपया उपरोक्त कार्यवाही का संदर्भ लें। इस संदर्भ में, उपलब्ध जानकारी के निबंधनों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा अभिनिश्चित उक्त मामले के संदर्भ में धारा 73 (5)/74(5) के अधीन आपके द्वारा संदेय कर /ब्याज /शास्ति की रकम नीचे दिए गए अनुसार है :

अधिनियम	अवधि	कर			
सीजीएसटी अधिनियम					
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम					
आईजीएसटी अधिनियम					
उपकर					
कुल					

आधार और परिमाणीकरण नीचे दिया गया/संलग्न है:

आपको सलाह दी जाती है कि तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की रकम लागू ब्याज की रकम के साथ संदाय करें, जिसके न होने की दशा में धारा 73(1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी।

आपको सलाह दी जाती है कि तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की रकम लागू ब्याज और धारा 74(5) के अधीन शास्ति की रकम के साथ संदाय करें, जिसके न होने की दशा में धारा 74 (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी।

यदि आप उपरोक्त अभिनिश्चित के विरुद्ध कोई निवेदन फाइल करना चाहते हैं तो उसे इस प्ररूप के भाग ख मेंतक प्रस्तुत किया जाए।

उचित अधिकारी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

संलग्नक अपलोड करें

भाग ख

कारण बताओ नोटिस के जारी होने के पूर्व संदाय के लिए संसूचना का जवाब

[नियम 142 (2क) देखें]

सं:

तारीख:

सेवा में,

उचित अधिकारी,

शाखा(विंग)/क्षेत्राधिकार।

विषय: मामला कार्यवाही संदर्भ सं..... - धारा 73(5)/धारा 74(5)के अधीन सूचित दायित्व के उत्तर में संदाय/निवेदन - से संबंधित

कृपया मामला आईडी के संबंध में संसूचना आईडी.....का संदर्भ लें, जिसके द्वारा धारा 73(5) / 74(5) के अधीन यथा अभिनिश्चित संदेय कर का दायित्व सूचित किया गया था।

इस संबंध में,

क. यह सूचित किया जाता है कि उक्त दायित्व को..... रुपए के विस्तार तक.....
..... के माध्यम से भागिक रूप से उन्मोचित कर दिया गया है और शेष दायित्व के संबंध में निवेदन नीचे दिया गया/संलग्न है:

या

ख. उक्त दायित्व स्वीकार्य नहीं है और इस संबंध में निवेदन नीचे दिया गया /संलग्न है:

--

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम.....

जीएसटीआईएन.....

पता.....

संलग्नक अपलोड करें।

[फा. सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 513(अ), तारीख 18 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 33/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 18 जुलाई, 2019 के माध्यम से किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

No. 49/2019-Central Tax

G.S.R. 772(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2019.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 21A,-

(a) in sub-rule (3), the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation.-For the purposes of this sub-rule, the expression “shall not make any taxable supply” shall mean that the registered person shall not issue a tax invoice and, accordingly, not charge tax on supplies made by him during the period of suspension.”;

(b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(5) Where any order having the effect of revocation of suspension of registration has been passed, the provisions of clause (a) of sub-section (3) of section 31 and section 40 in respect of the supplies made during the period of suspension and the procedure specified therein shall apply.”.

3. In the said rules, in rule 36, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4) Input tax credit to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the suppliers under sub-section (1) of section 37, shall not exceed 20 per cent. of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes the details of which have been uploaded by the suppliers under sub-section (1) of section 37.”.

4. In the said rules, in rule 61,-

(a) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, with effect from the 1st July, 2017 namely:-

“(5) Where the time limit for furnishing of details in **FORM GSTR-1** under section 37 or in **FORM GSTR-2** under section 38 has been extended, the return specified in sub-section (1) of section 39 shall, in such manner and subject to such conditions as the Commissioner may, by notification, specify, be furnished in **FORM GSTR-3B** electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that where a return in **FORM GSTR-3B** is required to be furnished by a person referred to in sub-rule (1) then such person shall not be required to furnish the return in **FORM GSTR-3**.”;

(b) sub-rule (6) shall be omitted with effect from the 1st July, 2017.

5. In the said rules, in rule 83A, in sub-rule (6), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) Every person referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 83 and who is enrolled as a goods and services tax practitioner under sub-rule (2) of the said rule is required to pass the examination within the period as specified in the second proviso of sub-rule (3) of the said rule.”.

6. In the said rules, in rule 91, -

(a) in sub-rule (3), with effect from the 24th September, 2019, after the words “application for refund”, the words “on the basis of a consolidated payment advice:” shall be inserted;

(b) after the sub-rule (3), with effect from the 24th September, 2019, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4) The Central Government shall disburse the refund based on the consolidated payment advice issued under sub-rule (3).”.

7. In the said rules, in rule 97, -

(a) after sub-rule (7), with effect from the 1st July, 2017, the following sub-rule shall be inserted, namely,-

“(7A) The Committee shall make available to the Board 50 per cent. of the amount credited to the Fund each year, for publicity or consumer awareness on Goods and Services Tax, provided the availability of funds for consumer welfare activities of the Department of Consumer Affairs is not less than twenty-five crore rupees per annum.”;

(b) in sub-rule (8), with effect from the 1st July, 2017, clause (e) shall be omitted.

8. In the said rules, in rule 117, -

(a) in sub-rule (1A) for the figures, letters and word “31st March, 2019”, the figures, letters and word “31st December, 2019” shall be substituted.

(b) in sub-rule (4), in clause (b), in sub-clause (iii), in the proviso for the figures, letters and word “30th April, 2019”, the figures, letters and word “31st January, 2020” , shall be substituted.

9. In the said rules, in rule 142, -

(a) after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) The proper officer shall, before service of notice to the person chargeable with tax, interest and penalty, under sub-section (1) of Section 73 or sub-section (1) of Section 74, as the case may be, shall communicate the details of any tax, interest and penalty as ascertained by the said officer, in **Part A of FORM GST DRC-01A**.”;

(b) in sub-rule (2), after the words “in accordance with the provisions of the Act”, the words, figures and brackets “, whether on his own ascertainment or, as communicated by the proper officer under sub-rule (1A),” shall be inserted;

(c) after sub-rule (2) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2A) Where the person referred to in sub-rule (1A) has made partial payment of the amount communicated to him or desires to file any submissions against the proposed liability, he may make such submission in **Part B of FORM GST DRC-01A.**” .

10. In the said rules, after **FORM GST DRC-01**, the following form shall be inserted, namely:-

“FORM GST DRC-01A						
Intimation of tax ascertained as being payable under section 73(5)/74(5)						
[See Rule 142 (1A)]						
Part A						
No.:					Date:	
Case ID No.						
To						
GSTIN.....Name.....						
.....						
Address.....						
<i>Sub.: Case Proceeding Reference No.....- Intimation of liability under section 73(5)/section 74(5) – reg.</i>						
Please refer to the above proceedings. In this regard, the amount of tax/interest/penalty payable by you under section 73(5) / 74(5) with reference to the said case as ascertained by the undersigned in terms of the available information, as is given below:						
Act	Period	Tax				
CGST Act						
SGST/UTGST Act						
IGST Act						
Cess						
Total						
The grounds and quantification are attached / given below:						
You are hereby advised to pay the amount of tax as ascertained above alongwith the amount of applicable interest in full by , failing which Show Cause Notice will be issued under section 73(1).						
You are hereby advised to pay the amount of tax as ascertained above alongwith the amount of applicable interest and penalty under section 74(5) by , failing which Show Cause Notice will be issued under section 74(1).						
In case you wish to file any submissions against the above ascertainment, the same may be furnished by..... in Part B of this Form						
					Proper Officer	
					Signature.....	
					Name.....	

Designation.....

Upload Attachment**Part B****Reply to the communication for payment before issue of Show Cause Notice****[See Rule 142 (2A)]**

No.:

Date:

To

Proper Officer,

Wing / Jurisdiction.

Sub.: Case Proceeding Reference No.....- Payment/Submissions in response to liability intimated under Section 73(5)/74(5) – reg.

Please refer to Intimation ID..... in respect of Case ID.....vide which the liability of tax payable as ascertained under section 73(5) / 74(5) was intimated.

In this regard,

A. this is to inform that the said liability is discharged partially to the extent of Rs. throughand the submissions regarding remaining liability are attached / given below:

OR

B. the said liability is not acceptable and the submissions in this regard are attached / given below:

Authorised Signatory

Name.....

GSTIN.....

Address.....

Upload Attachment

[F. No. 20/06/07/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published vide number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 33/2019-Central Tax, dated the 18th July, 2019, published vide number G.S.R. 513(E), dated the 18th July, 2019.